अनुदान संख्या 61 – श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 61–MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1045,71,00	1137,17,00	1095,91,86	–41,25,14
पूरक	Supplementary	91,46,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				24,06,51
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		6,00	. .	–6,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम तथा रोजगार'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4125.14 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 9146.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" - "Labour and Employment".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4125.14 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grants of Rs.9146.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2230'' श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment				
मू.	O.	100168.00	107856.73	106173.26	–1683.47
पू.	S.	9145.00			
पु.	R.	–1456.27			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1810.00			
			1560.00	. .	–1560.00
पु.	R.	–250.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	803.00			
पू.	S.	1.00	190.40	1747.41	+1557.01
पु.	R.	–613.60			

(I) 1985.04 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1810.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और व्यपगत न होने वाले पूल को आंशिक निधि के अभ्यर्पण के कारण भी लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1985.04 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.1810.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Lump sum provision for Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim"- due to receipt of less proposals from North Eastern States for establishment of Industrial Training Institutes in the region and also surrender of part fund to non-lapsable pool.

(II) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2230" - "Labour" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्य की स्थितियां और सुरक्षा - खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें"- 200.44 लाख रु. की बचत (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पदों का सृजन न होने, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से की गई अधिप्राप्ति से संबंधित बिलों के प्राप्त न होने, नए मोटर वाहनों की खरीद पर रोक लगी होने, व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति

(A) "Working Conditions and Safety - Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S.)" - saving of Rs.200.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-creation of posts, non-receipt of bill for procurement made through Directorate General of Supplies and Disposals, ban on purchase of new motor vehicles and non-approval of the

द्वारा 'सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण' स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि - आवास''- 447.88 लाख रु. की बचत (1597.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागपुर और कोलकाता क्षेत्रों में बीड़ी कामगारों के लिए मकानों के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट और संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाणपत्र/सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''बाल/महिला श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष''- 590.97 लाख रु. की बचत (9905.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाल श्रमिकों के लिए चलाए जाने वाले विशेष विद्यालयों के लिए जिलों से राज्य सरकारों की सिफारिश सहित कई प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''श्रमिक शिक्षा - कामगारों की शिक्षा के लिए केंद्रीय बोर्ड को अनुदान''- 160.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी उपायों के कारण हुई।

(ङ) ''आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण''-

(क) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण''- 1350.29 लाख रु. की बचत (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी उपायों और वर्ष के दौरान उपकर के कम संग्रहण की रिपोर्ट दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''लौह, मैंगनीज क्रोम अयस्क श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण''- 278.07 लाख रु. की बचत (1430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान उपकर के कम संग्रहण की रिपोर्ट दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''योजनेत्तर अनुदान - श्रम - बीड़ी कामगार कल्याण निधि - बीड़ी कामगारों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास स्कीम''- 294.17 लाख रु. की बचत (360.00

scheme 'Modernisation of Information Database' by the Expenditure Finance Committee/Standing Finance Committee.

(B) "Beedi Workers Welfare Fund - Housing" – saving of Rs.447.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1597.40 lakhs) was due to non-receipt of progress report on construction of houses for beedi workers at Nagpur and Kolkata regions and requisite certificate/information from the concerned authorities.

(C) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour - Child Labour Cell" – saving of Rs.590.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9905.00 lakhs) was due to late receipt of many proposals from the districts with the recommendation of the State Governments for running special schools for child labour.

(D) "Labour Education - Grants to Central Board for Worker's Education" – saving of Rs.160.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to austerity measures.

(E) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts"-

(a) "Transfer to Beedi Workers Welfare Fund"– saving of Rs.1350.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to austerity measures and reporting of less collection of cess during the year.

(b) "Transfer to Iron, Manganese Chrome Ore Labour Welfare Fund" - saving of Rs.278.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1430.00 lakhs) was due to reporting of less collection of cess during the year.

(III) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants-Labour - Beedi Workers Welfare Fund - Housing Scheme for Economically Weaker Section of Beedi Workers" – saving of

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से पूरे आवेदनों और दस्तावेजों के प्राप्त न होने और हैदराबाद और जबलपुर क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकारों से छत के स्तर तक मकान की पुष्टि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बंधुआ मजदूर - बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास"- 200.05 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों/पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(IV) आठ शीर्षों के अंतर्गत 545.92 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (975.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2005 में 9145.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995"- 854.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 855.00 लाख रु. था।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - आईएलओ को भारत का अंशदान"- 121.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 120.96 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम"-

(क) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन जीवन बीमा स्कीम"- 125.00 लाख रु. का अधिक व्यय (995.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार के अंशदान के भाग के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Rs.294.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to non-receipt of complete applications and documents from beneficiaries and certificates/documents in support of house up to roof level from the State Governments in respect of Hydrabad and Jabalpur regions.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Bonded Labour - Rehabilitation of Bonded Labour" - saving of Rs.200.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due non-receipt of utilisation certificates/complete proposals from the State Governments.

(IV) Under eight heads savings of Rs.545.92 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 66 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.975.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.9145.00 lakhs in March, 2005 and vide Annexure II to the Supplementary Demands for Grants under Major Head "2230" - "Labour" under the following heads:-

(A) "Social Security for Labour - Employee's Pension Scheme, 1995" - Rs.854.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.855.00 lakhs.

(B) "International Co-operation - India's Contribution to the I.L.O." - Rs.121.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.120.96 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" - "Labour"-

(a) "Social Security for Labour - Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - excess of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.995.00 lakhs) was due to requirement of more funds for Government's share of contribution.

(ख) ''आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण - चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण''- 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अप्रैल, 2004 में फरवरी और मार्च, 2004 के उपकर संग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने, जिसे वर्ष 2004-05 के दौरान आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया था और वर्ष के दौरान प्रत्याशा से अधिक उपकर की रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण भी हुआ।

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts - Transfer to Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to reporting of cess collection of February and March, 2004 in April, 2004 which was transferred to reserve fund during the year 2004–05 and also due to reporting of more cess than anticipated during the year.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यविक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' के अंतर्गत 1438.63 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 143.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(B) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Training Grants - Training of Craftsmen and Supervisors - Other Schemes" - excess of Rs.1438.63 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.143.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 86.91 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.86.91 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 6.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4250'' - ''अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

4. In the capital section of the grant, provision of Rs.6.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4250" - "Capital Outlay on Other Social Services" and was eventually surrendered.

5. ***अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधिः-***

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात पर लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

वर्ष 2004-2005 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार थाः-

5. ***Mica Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted for financing measures for promotion of welfare of labour employed in Mica Mines. Custom duties levies on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2004-2005 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2,18,46
प्राप्तियां	Receipts	1,14,93
अदायगियां	Payments	1,06,86
अंतशेष	Closing Balance	2,26,53

6. *लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता के लिए लौह अयस्क खनिकों के जीवन-यापन की स्थितियों में सुधार लाने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर 1978 से प्रवृत्त हुआ, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

वर्ष 2004-2005 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

6. ***Iron Ore Mines and Manganese Ore, Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 that came into force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

The Account of the Fund for 2004 - 2005 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	126,11,14
प्राप्तियां	Receipts	11,55,94
अदायगियां	Payments	9,84,62
अंतशेष	Closing Balance	127,82,46

7. **बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-**

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। इस निधि को बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के निर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से

7. ***Beedi Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependants engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in

किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्त पोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

वर्ष 2004-2005 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

(हजार रुपयों में)

अथशेष		
प्राप्तियां		
अदायगियां		
अंतशेष		

8. *चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण की व्यवस्था है जोकि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानें में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

वर्ष 2004-2005 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

(हजार रुपयों में)

अथशेष		
प्राप्तियां		
अदायगियां		
अंतशेष		

connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2004 - 2005 was as follows:-

(In thousands of rupees)

Opening Balance	53,94,93
Receipts	72,39,47
Payments	88,83,12
Closing Balance	37,51,28

8. ***Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed thereunder, which provides for levy and collection of Cess on Limestone and Dolomite produced in any mines is sold or otherwise disposed off, to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

The Account of the Fund for 2004-2005 was as follows:-

(In thousands of rupees)

Opening Balance	28,60,83
Receipts	12,09,39
Payments	7,51,27
Closing Balance	33,18,95

9. *सिनेमा कामगार कल्याण निधि:-*

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

वर्ष 2004-2005 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

9. ***Cine Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

The Account of the Fund for 2004 - 2005 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1,52,17
प्राप्तियां	Receipts	60,56
अदायगियां	Payments	87,88
अंतशेष	Closing Balance	1,24,85